न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/132

गोपी लाल पुत्र श्री कालू जी जाति माली निवासी पीपल्दा कला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

बनाम

1. रतन नाथ पुत्र श्री गणेश नाथ जी जाति नाथ निवासी शहनावदा ।
2. जानकी नाथ पुत्र श्री गणेश नाथ जी जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. छीतर नाथ आत्मज श्री गणेश नाथ जी जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. घनश्याम पुत्र श्री गणेश नाथ जी जाति नाथ निवासी शहनावदा ।
5. केसरी नाथ पुत्र श्री नाथूनाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा ।
6. भंवर नाथ पुत्र श्री नाथूनाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
7. बिरधी नाथ पुत्री श्री नाथूनाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ईटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम च्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में वादी कम 1 व 2 तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता स्व0 गणेश नाथ पुत्र बालानाथ तथा

प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 के पिता स्व0 नाथूनाथ पुत्र दालानाथ के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा स्थित थी । उक्त आराजी पैतृक आराजी है जो गणेश जी की मृत्यु होने पर उनके चारों पुत्रों वादी कम 1, 2 व प्रतिवादी कम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज हुई । सन् 1975 में वादग्रस्त आराजी के खातेदार नाथूलाल वल्द बालानाथ, रतनानाथ जानकी नाथ, छीतरनाथ, घनश्याम नाथ के बीच वादग्रस्त आराजी का विभाजन हुआ था और जिसका इंतकाल संख्या 101 खोला जाकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी रतना नाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर उक्त भूमि पर नाथूनाथ पुत्र बालानाथ, छीतरनाथ, जानकीनाथ, घनश्याननाथ का नाम अंकित कर दिया जो अवैध था । सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 74 रकबा 1.67 हैक्टर व खसरा नम्बर 75 रकबा 0.65 हैक्टर कु 2.32 हैक्टर कायम किये गये । प्रतिवादी कम 03 से 05 ने अपने हिस्से में प्राप्त भूमि 1/3 प्रतिवादी कम 06 को बेचान कर दी । प्रतिवादी कम 06 के कब्जे में खसरा नम्बर 75 की 0.65 हैक्टर है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 का हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण विभाजन में उनके पिता के हिस्से में आई भूमि का विक्रय प्रतिवादी कम 06 के हक में कर दिये जाने के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 के नाम दर्ज रह गया है जबकि मौके पर प्रतिवादीगण कम 3, 4 व 5 का हिस्सा शेष नहीं रहा है । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है और वे गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर भूमियों को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर अमादा हैं तथा वादीगण के विभाजन में आई हुई हिस्से की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व कब्जे करने का प्रयास कर रहे हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी कम 01 का 1/3, वादी कम 02 का 1/3 एवं प्रतिवादी कम 06 का 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रतिवादी कम 1 से 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा भूमियों का विभाजन कर खसरा नम्बर 74 की 1.67 हैक्टर में से उत्तरी दिशा का वादी रतननाथ व दक्षिणी हिस्सा वादी जानकीनाथ के हिस्से में खसरा नम्बर 75 की 0.65 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 06 के हिस्से में दी जावे व पृथक–पृथक जमाबन्दी कायम की जावे, नक्शा ट्रेस भी दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रके उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा उक्त भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2009 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 01.10.2014 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 01.10.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 06 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा मानते हुए अपीलान्ट को मात्र खसरा नम्बर 75 की आराजी का 0.65 हैक्टर हिस्सा दिलवाये जाने का आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.10.2014 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.04.2015 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री की नकल दिनांक 07.04.2015 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया था इस दावे में यह कथन किया गया था कि प्रतिवादी कम 3 से 5 ने अपने हिस्से की 1/3 आराजी प्रतिवादी कम 06 अपीलान्ट को विक्रय कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की और उसके उपरान्त विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 01.10.2014 को पारित की जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील पेश की जा रही है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 74 और 75 में से मात्र खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.65 हैक्टर आराजी अपीलान्ट को दी गई है । पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को सूचना नहीं दी । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव के बाबत् तहसीलदार, पीपल्दा के द्वारा पेश की गई है उसका अवलोकन किया गया । यह रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तैयार की है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । रिपोर्ट पेश होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 01.10.2014 के अनुसार वकील वादी के विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने के आधार पर अंतिम

डिक्री जारी की है । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा